संख्या-06/2017/1417/41-2016-75 यो0/2016

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- जनपद लखीमपुर खीरी में लहुरीनगर में श्री संकट मोचन वीर बाबा मंदिर में यात्री शेड एवं शौचालय की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-672/6-1-1(786)/2016, दिनांक 04-08-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में लहुरीनगर में श्री संकट मोचन वीर बाबा मंदिर में यात्री शेड एवं शौचालय की स्थापना हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ से गठित आगणन रू0 130.02 लाख (रूपये एक करोड तीस लाख दो हजार मात्र) प्रेषित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखीमपुर खीरी में लहुरीनगर में श्री संकट मोचन वीर बाबा मंदिर में यात्री शेड एवं शौचालय की स्थापना हेतु उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) जिसे वित्त विभाग के शासनादेश सं0 3/2016-ई-8-2172/दस-2016-89/2014, दिनांक 28.09.2016 द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकरी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 आर0एन0एस0एस0) नाम प्रदत्त किया गया है को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उक्त निर्माण कार्य हेतु रू0 1,30,02,000.00 (रूपये एक करोड तीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0 65,01,000.00 (रूपये पैंसठ लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था पैकफेड वर्तमान नाम यू0पी0 आर0एन0एस0एस0 से इस आशय का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि वह उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ से गठित आगणन पर कार्य किये जाने पर सहमत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- 19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 में दिये गये मार्गदर्शी बिन्दुओ के अनुसार सुनिश्चित कर लिया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(8) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(9) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-06/2017/1417(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ/जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकरी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 आर0एन0एस0एस0) लखनऊ को उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित आगणन की एक प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उस आगणन के आधार पर कार्य किये जाने पर अपनी सहमति शासन एवं महानिदेशक पर्यटन को तत्काल उपलब्ध करायें।
6- अधिशासी अभियन्ता पैकफेड, प्रखण्ड-1 लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in